"मौर्यकालीन प्रांतीय शासन"

Mandip kumar chaurasiya

Assistant professor(Guest)

Dept. of A.I.H. & Archaeology

Patna university, patna-800005

M.A. Semester - III

Paper/CC – 13 Religion Philosophy & Political Administration of Ancient India

हम जानते है की मौर्य साम्राज्य बहुत ही विशाल था, अत: सम्पूर्ण देश का शासन सीधे पाटलिपुत्र से चलाना सम्भव नहीं था| इसलिए प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौर्य शासको ने अपने साम्राज्य को 5 प्रान्तों में विभक्त किया था, जिससे शासन-प्रशासन चलाने में सुविधा हो सकें| इन प्रान्तों को चक्र कहा जाता था| इन चक्रो यानि प्रान्तों पर शासन करने के लिए साधारणतः राजवंशीयों को ही नियुक्त किया जाता था, जिन्हें 'कुमार' कहा जाता था| ये कुमार अपने अधीन महामात्यों की सहायता से चक्र में शासन करते थे| मौर्यकालीन विभिन्न प्रान्त या चक्र निम्नलिखित थे|

(i) **उत्तरापथ-** इसमें पंजाब, कश्मीर, गांधार, सिन्धु आदि प्रदेश थे| इसकी राजधानी तक्षशिला थी|

(ii) **अवन्ती-** गुजरात, कठियावाड़, मालवा, गुजरात एवं राजपुताना इस चक्र में आते थे| इसकी राजधानी उज्जैन थी|

(iii) **दक्षिणापथ-** इसमें दक्षिणी भारत का प्रदेश शामिल था, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी|

(iv) **प्राच्य या पूर्वी प्रान्त-** इसमें वर्तमान बिहार, उत्तरप्रदेश और बंगाल सम्मलित थे और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी|

(v) **कलिंग-** इसकी राजधानी तोषाली थी|

इस प्रकार से मौर्यों ने सुविधानुसार इन प्रान्तों में अपने साम्राज्य को विभाजित किया था| उनका उद्देश्य था की इतने बड़े साम्राज्य की शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाया जा सके| प्रत्येक प्रान्त मंडलों में विभक्त था जिसमे महामात्य शासन करते थे| प्रत्येक मंडल पुनः विभिन्न जनपदों में विभक्त थे जिसका प्रधान अधिकारी समाहर्ता होता था| प्रत्येक जनपद, प्रशासन की सुविधा के अनुसार पुनः अनेक नगरों में विभक्त था| जनपद की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम होती थी| 10 ग्रामों के समूह को द्रोणमुख एवं 800 ग्रामों के समूह को स्थानीय कहते थे|

ग्राम प्रशासन- प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका अधिकारी 'ग्रामिक' कहलाता था| ग्रामिक ग्राम-सभा का भी प्रधान होता था तथा उसका निर्वाचन गांववासियों द्वारा ही किया जाता था| अर्थशास्त्र में 'ग्रामवृद्धपरिसद' का उल्लेख है| ये एक तरह से गाँव के वृद्धजनों की परिसद होती थी ये कई मामलों में ग्रामिक को सुझाव और परामर्श दिया करते थे| ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य 'गोप' नामक कर्मचारी किया करते थे| ग्रामिक को ग्राम के भूमि का प्रबंध तथा सिचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार था| ग्रामिक कृषकों से भूमिकर एकत्र कर राजकीय कोषागार में जमा करता था| ग्रामवासियों और सरकार के ग्राम-अध्यक्षों के कार्यों एवं चरित्र की देख-रेख के लिए गुप्चार भी नियुक्त थे|

नगर प्रशासन- मौर्यकालीन नगर प्रशासन अत्यंत सुव्यवस्थित एवं उच्चकोटि का था| नगर का प्रधान अधिकारी 'नागरक' कहलाता था| नगरों में जल-व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, भूमिगत मार्गों की सही स्थिति आदि का नागरक पूरा ध्यान रखता था| कौटिल्य एवं मैगास्थनिज ने नगर-प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है|

मैगास्थनिज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की एक नगर सभा होती थी जो पांच-पांच सदस्यों की छह समितियों में विभक्त थी| ये समितियां एवं इनके कार्य निम्नलिखित थे:

(i) **पहली उपसमिति-** औधोगिक तथा शिल्पकार्यों का निरीक्षण करना इस समिति का मुख्य कार्य था|

(ii) **दूसरी उपसमिति-** विदेशियों की देखभाल तथा सत्कार करने वाली समिति|

(iii) **तीसरी उपसमिति-** जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने वाली समिति|

(iv) **चौथी उपसमिति-** क्रय विक्रय के नियमों का निर्धारण करना एवं माप तौल के मानों को नियंत्रित करना तथा मिलावट को रोकना इनका कार्य था|

(v) **पांचवी उपसमिति-** व्यापारियों का पंजीकरण तथा व्यापार का नियमन करना इस समिति का कार्य था|

(vi) **छठीं उपसमिति-** क्रय विक्रय कर वसूल करना इस समिति का मुख्य कार्य था|

यह कार्य प्रत्येक समिति अलग-अलग करती थी| इसके अतरिक्त सामूहिक रूप से इन समितियों का कार्य सार्वजनिक भवनों की मरम्मत, बाजारों, बंदरगाहों व देवालयों की देखभाल करना था| इस प्रकार हम देखते है की मौर्यकाल में नगर का प्रशासन भी अत्यंत ही सुव्यवस्थित था|